न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 03/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/4)

1. लाल मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 3 भानीपुरा नोहर।
2. अलीमुदीन पुत्र सराजूदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 भादरा।
3. रियासत पुत्र हाकम अली जाति मुसलमान निवासी सरदारपुरा, नोहर।
4. अकबर खां पुत्र अमीन खां जाति मुसलमान निवासी 28 एनटीआर नोहर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. शकीना पुत्री अब्दुल शकूर पत्नी रजाक जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराइयान तहसील नोहर।
2. चौधरी परमाराम गोदारा शिक्षा समिति भादरा जिला हनुमानगढ जरिए अध्यक्ष राकेश चौधरी पुत्र श्री रामसिह जाति गोदारा निवासी 5 BHD तहसील भादरा।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री ज्ञानसिह विश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 28–12–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 10.11.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है रेस्पोडेन्ट सं. 1 शकीना ने चक 28 एन.टी.आर के इन्तकाल सं. 495 दिनांक 14.08.2012 तहसील नोहर द्वारा स्वीकृत किया, के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.11.2016 द्वारा अपील को स्वीकार कर इन्तकाल सं. 495 दिनांक 14.08.2012. को अपास्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के निमित रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी करने के बावजूद उपस्थित नही हुए।

4. अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि इन्तकाल सं. 495 उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय मय डिक्री दिनांक 26.07.2011 की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही था। अपीलाधीन आदेश में दर्ज भूमि रेस्पोडेन्ट्स की क्रय शुदा खातेदारी कृषि भूमि है, जिसका धोषणात्मक खाता विभाजन का वाद दिनांक 26.07.2011 को डिक्री किया गया। इसलिए अपील ओरिजनल आदेश के विरूद्व नही कर इन्तकाल के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.02.2013 द्वारा क्रय की जाकर नामान्तकारण सं. 528 दिनांक 21.08.2013 अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट का धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2016 खारिज किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है इसलिए उक्त अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को कोई आपत्ति नही है।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के न्यायालय की अपील सं. 04 / 2015 निर्णय दिनांक 10.11.2016 में राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज होते हुए भी अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया, अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 की ओर से कोई जवाब / खण्डन प्रस्तुत नही हुआ है, बल्कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिए प्रत्यर्थी सं. 1 को अपील स्वीकार करने पर आपत्ति नही है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपनी भूमि का विक्रय अपीलान्ट सं. 1 ता 4 को किये जाने के पश्चात नामान्तकरण सं. 528 के द्वारा राजस्व अभिलेख मे अमल हो चुका है एवं जमाबन्दी सम्वत 2076 मे खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

8. प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 10.11.2016 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 24.01.2022 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 03.01.2022 को हुई। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरूद्व जवाब / काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था। अतः अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पर अंकित किये गये कारणो पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

9. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2016 के द्वारा नामान्तकरण सं. 495 दिनांक 14.08.2012 को राजस्व न्यायालय में वाद निचाराधीन होने व राजस्व अपील अधिकारी के यहा स्थगन आदेश होने के दौरान नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने के कारण नामान्तकरण सं. 495 दिनांक 14.08.2012 को अपास्त किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं. 98/2009 में दिनांक 24.03.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो चूका है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी नोहर के प्रकरण सं. 118/2011 में पारित डिक्री के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मो प्रस्तुत अपील सं. 180/2012 दिनांक 28.03.2022 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार नामान्तकरण सं. 495 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद/स्थगन नही है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 10.11.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, पक्षकारो के मध्य वाद/स्थगन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।